न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
250 / 2025	05.05.2025	08-07-2025

1. श्री सीमा पुत्री भैरू भील निवासी नारायणपुरा हाल आमली तहसील व जिला भीलवाडा।

– प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज०)

–– विपक्षी

उपस्थितः– 1. अधिवक्ता प्रार्थीया की और से श्री कन्हैयालाल सेन
2. विपक्षी की और से पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकॉर्ड में हुई त्रुटि को दूरस्थ कराये जाने

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का मालोला, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में खाता संख्या 21 में आराजी नम्बर 286/2 रकबा 0.0171 हैक्टेयर, आरांजी नम्बर 289/2 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 291/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 293/1 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 304/1 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 306/1 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 310/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 0.6620 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जोकि प्रार्थीया के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम बिना किसी कारण के एवं लिपीकिय त्रुटि व भूलवश से प्रार्थीया का नाम मेना अंकित कर दिया, जबकि सीमा को बोलचाल की भाषा में मेना कहते है किन्तु प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेज में खातेदार प्रार्थीया का नाम सीमा दर्ज किया हुआ है। जो सही है राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम मेना के बजाय सीमा किया जाने हेतु प्रार्थीया ने तहसीलदार भीलवाडा के यहॉ व राजस्व कैम्प में भी आवेदन प्रस्तुत किये किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई इसलिए प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 एक में वर्णित कृषि आराजियात मे प्रार्थीया का नाम मेना के बजाय सीमा दर्ज किया जाने हेतु प्रार्थीया की और से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

वादग्रस्त ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का मालोला, भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा में खाता संख्या 21 में आराजी नम्बर 286/2 रकबा 0.0171 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 289/2 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 291/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 293/1 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 304/1 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 306/1 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 310/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर कुल किता 07 कुल रकबा 0.6620 हैक्टेयर भूमि स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त भूमि में खातेदार प्रार्थी का नाम मेना दर्ज है जबकि प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजों में प्रार्थीया का नाम सीमा दर्ज है, इसलिए प्रार्थीया उक्त भूमि से प्राप्त होने वाली सरकारी योजनाओं किसान क्रेडिट कार्ड प्रधानमंत्री किसान योजना व अन्य सरकारी जो भी लाभ है वह नहीं उठा पा रही है इसलिए जमाबन्दी में दर्ज प्रार्थीया का नाम मेना के बजाय सीमा दर्ज किया जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेन्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकॉर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने का स्वीकार फरमाया जाकर वाकें ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का मालोला भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या:– 21 में आराजी नम्बर 286/2 रकबा 0.0171 हैक्टेयर, 289/2 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, 291/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, 293/1 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, 304/1 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, 306/1 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, 310/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, कुल किता 07 कुल रकबा 0.6620 हैक्टेयर भूमि में खातेदार प्रार्थीया का नाम सीमा दर्ज कराया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में हुई त्रुटि को दुरस्त किया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.05.2025 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन जारी किये गये। तहसीलदार भीलवाडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्रांक 14 दिनांक 16.05.2025 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया है कि प्रार्थीया मैना पिता भैरू भी की खातेदारी भूमि ग्राम नारायणपुरा प०ह० मालोला के खाता संख्या 21 में है। प्रार्थीया द्वारा मौके पर दस्तावेज उपलब्ध कराये गये जिस अनुसार प्रार्थीया मैना का नाम सीमा पिता भैरू भील अंकित बताया गया। मौके पर अन्य मौतबिरानों द्वारा पूछताछ में जाहिर हुआ कि मैना प्रार्थीया का बोलता नाम है तथा दस्तावेजों अनुसार सीमा है। मैना पुत्र भैरू नाम से अन्य कोई व्यक्ति निवास नहीं करता है। मैना व सीमा एक ही व्यक्ति होना बताया गया। भविष्य में यदि इस नाम से यदि अन्य कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी गवाहनों व प्रार्थीया की होगी। प्रकरण में तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पुनः पत्रांक 1547 दिनांक 27.06.2025 से प्रकरण में वादीया का नाम सीमा पिता भैरूलाल के बजाय सीमा उर्फ मैना पिता भैरूलाल किये जाने की अनुशंषा की गई है।

प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस विपक्षी पैराकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजात का भलिभांति परीक्षण किया गया। प्रार्थीया के सभी पते एवं पहचान के प्रमाणपत्रों में नाम सीमा पुत्री भैरूलाल भील अंकित है। सह खातेदार राजू पिता सोहन लाल भील द्वारा भी शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीया का नाम मैना के बजाय सीमा करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव्

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

—ःआदेश :—

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का तहसीलदार भीलवाडा की रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाकर प्रकार ग्राम नारायणपुरा पटवार हल्का मालोला भू–अभिलेख निरिक्षक क्षेत्र सांगानेर तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा (राज०) में स्थित कृषि भूमि खाता संख्याः— 21 में आराजी नम्बर 286/2 रकबा 0.0171 हैक्टेयर, 289/2 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, 291/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, 293/1 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, 304/1 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, 306/1 रकबा 0.1770 हैक्टेयर, 310/1 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, कुल किता 07 कुल रकबा 0.6620 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीया का नाम **मैना पुत्री प्रेम सरंक्षक नानी चान्दी के बजाय सीमा उर्फ मैना पुत्री भैरू भील** दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीलवाडा उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में संशोधन का इन्द्राज कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से जारी किया गया है।

(दिव्यराज सिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा
भीलवाडा